रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268230
CG-DL-E-04122025-268230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5411]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947
No. 5411]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5599(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "जालंधर विकास प्राधिकरण" (पैन: AAALC0454G) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) जो, पंजाब क्षेत्रीय तथा नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) के तहत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती पंजाब क्षेत्रीय तथा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) के तहत गठित एक प्राधिकरण बना रहेगा, जिसका आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजन हैं।

[अधिसूचना सं. 167 /2025/फा. सं. 300195/18/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2025

S.O. 5599(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Jalandhar Development Authority" (PAN: AAALC0454G) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995 (Punjab Act No. 11 of 1995), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995 (Punjab Act No. 11 of 1995), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 167 /2025/F.No.300195/18/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268231
CG-DL-E-04122025-268231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5412] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947
No. 5412] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5600(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "अजमेर विकास प्राधिकरण" (पैन: AAALS0528D) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का अधिनियम संख्या 39) के द्वारा, गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी बशर्ते, कि निर्धारिती अजमेर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 39, 2013) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे, जिसका आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजन हैं।

[अधिसूचना सं. 168 /2025/फा. सं. 300195/26/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2025

S.O. 5600(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies "Ajmer Development Authority" (PAN: AAALS0528D) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Ajmer Development Authority, Act, 2013 (Act No.39 of 2013), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Ajmer Development Authority, Act, 2013 (Act No.39 of 2013), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 168 /2025/F.No.300195/26/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268232
CG-DL-E-04122025-268232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5413] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947
No. 5413] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5601(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" (पैन: AAALT0344G) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) जो, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (वर्ष 1974 का केंद्रीय अधिनियम 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वर्ष 1981 का केंद्रीय अधिनियम 14) के तहत एवं तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, वशर्ते कि निर्धारिती जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (वर्ष 1974 का केंद्रीय अधिनियम 6) और वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वर्ष 1981 का केंद्रीय अधिनियम 14) में विनिर्दिष्ट आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों से गठित एक बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 169 /2025/फा. सं. 300195/59/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2025

S.O. 5601(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies "Tamil Nadu Pollution Control Board" (PAN: AAALT0344G) (hereinafter referred to as "the assessee"), a board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) by the State Government of Tamil Nadu for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be a board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 169/2025/F. No. 300195/59/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA